आदेश 21, नियम 2 के तहत। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लुधियाना के समक्ष दायर अपील में, जिसे 11 जून, 1964 को खारिज कर दिया गया था, ऐसा कोई विवाद कभी नहीं उठाया गया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी, जिसने अंततः 15 अप्रैल, 1966 को अपील खारिज कर दी, इस आधार पर कोई हमला नहीं हुआ। मेरिया रमन्ना बनाम नल्लापराजू और अन्य (6) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया था कि जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में डिक्री की विषय-वस्तु स्थानांतरित की जाती है, वह इस तरह के हस्तांतरण के कारण उस पर अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेता है, और यदि वह इस पर विचार करता है। इसके संदर्भ में एक निष्पादन आवेदन, सबसे बुरी स्थिति में यह क्षेत्राधिकार की एक अनियमित धारणा होगी और इसकी पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होगी, और यदि इस पर आपत्ति जल्द से जल्द अवसर पर नहीं ली गई है, तो इसे माफ कर दिया गया माना जाना चाहिए, और नहीं किया जा सकता है कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में उठाया गया। निर्णय-देनदार को यह आपत्ति उठानी चाहिए थी कि श्रीमती हरमिंदर कौर को उस अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया गया था जो उन्होंने जिला न्यायाधीश द्वारा मामले को स्थानांतरित करने पर ग्रहण किया था। यह मुद्दा दोनों अपीलीय न्यायालयों में से किसी एक के समक्ष उठाया गया होगा और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सिद्धांत पर, निर्णय-देनदार ने इस आपत्ति को माफ कर दिया है। कोई अन्याय नहीं हुआ; वास्तव में, इस स्तर पर तकनीकी आपत्ति को स्वीकार करना न्याय का गर्भपात होगा, जैसा कि होता है, एक ऐसे मामले से संबंधित जो कई वर्षों से अदालत में लंबित है और जिसे बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था।

(12) इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जो विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।¬

नागरिक विविध

न्यायमूर्ति बाल राज तुली के समक्ष

मोहिंदर सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

Civil Writ No. 3683 of 1968

3 सितंबर 1969.

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

पंजाब पंचायत समितियाँ औरज़ेडए परिषद अधिनियम (1961 का III) - धारा 88 - पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम (1965) - नियम

(6) एआईआर 1956 एससी 87।

5, 6 और11_*नियम 11 के तहत जेडयूए परिषद के अस्थायी सचिव की नियुक्ति - नियमों में निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता5और Qक्या ऐसी नियुक्ति के लिए उम्मीदवार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 226 - एक जेडयूए परिषद के सचिव का कार्यालय - क्या सार्वजनिक कार्यालय - का रिट* ¬यथा वारंटो-क्या उसके पदधारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि ,यह सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्ति का एक मौलिक नियम है कि पद के पदधारी के लिए निर्धारित योग्यताएं सभी पदधारियों पर लागू होती हैं, चाहे वे स्थायी रूप से नियुक्त हों या अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हों, क्योंकि कार्यालय के कर्तव्य समान हैं, चाहे वे स्थायी पदधारियों द्वारा निष्पादित किए जाएं। या अस्थायी पदाधिकारियों द्वारा. अस्थायी नियुक्तियों के मामले में नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताओं से छूट नहीं दी जा सकती, जब नियमों में छूट या छूट का ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम, 1965 के नियम 5 और 6 में यह नहीं कहा गया है कि ये नियम केवल जिला परिषद के स्थायी सचिवों पर लागू होंगे, न कि नियम 11 के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों पर। नियम 11 भी ऐसा कोई संकेत न करता है। इसलिए नियमों के नियम 5 और 6, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हुए, नियम 11 के तहत जिला परिषद के अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर लागू होंगे। (पैरा 7)¬¬¬¬¬

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिला परिषद के सचिव का पद पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 द्वारा प्रदान किया गया है, और इसलिए, वैधानिक प्रकृति का है। यहां तक कि सचिव के कर्तव्य भी अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं। इसलिए कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और यदि यह आरोप लगाया जाता है कि वह इसे रखने के लिए योग्य नहीं है या उसने इसे हड़प लिया है, तो उस पद के पदाधिकारी के खिलाफ अधिकार वारंट जारी करने के लिए एक याचिका दायर की जाती है।¬¬

(पैरा 10 और 13)

याचिका भारत के संविधान की *अनुच्छेदों* 226 और 227 *के अंतर्गत* प्रार्थना की गई है कि उत्प्रेषण, परमादेश, या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए जिसमें उत्तरदाताओं 1 से 3 को निर्देश दिया जाए कि वे तुरंत सचिव, जिला परिषद, रोहतक की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ें। पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम, 1965 के नियम 10 के साथ, और प्रतिवादी 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 4 को सचिव के कार्यालय से हटाने का निर्देश भी देता है, जिसे वह कानून के खिलाफ रखता है और वास्तव में हड़पने के समान है और उत्तरदाताओं संख्या 4 को आगे से इस तरह कार्य न करने का निर्देश दिया गया।

*पी.*एस जैन, वी.एम जैन, और जे.एस नारंग, वकील, याचिकाकर्ता के लिए '9
आ.रए सैनी, वकील, एडवोकेट-जेनराई (हरियाणा) के लिए, प्रतिवादी संख्या 1

यू.डी गौड़, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए।

एच.एस हुडा, वकील, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

(मोहिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (*न्यायमूर्ति* तुली,)

3

निर्णय

न्यायमूर्ति तुली,-याचिकाकर्ता 16 जून, 1953 से जिला बोर्ड, रोहतक में व्यावसायिक कर अधिकारी के रूप में कार्यरत था।और 1954 में रुपये 125—7i—200—10—250 के ग्रेड में पुष्टि की गई थी। पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 118 के प्रावधान के अनुसार जिला बोर्ड, रोहतक को 1962 में समाप्त कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को जिला बोर्ड के अन्य कर्मचारियों के साथ जिला परिषद, रोहतक में समाहित कर लिया गया था। जिला परिषद में उनका पदनाम बदलकर कराधान अधिकारी कर दिया गया और उन्हें इस पद पर स्थायी कर दिया गया है उनके वेतन का वर्तमान ग्रेड रु. 200—10—250/15—325रिटर्न में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को जिला परिषद, रोहतक के अन्य कर्मचारियों के साथ जिला परिषद, रोहतक में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि व्यावसायिक कर अधिकारी का पद अधिशेष घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता को प्रोफेशनल टैक्स के मूल्यांकन विवरणों की जांच करने और फिर उन्हें तर्कसंगत आधार पर लाने का कर्तव्य आवंटित किया गया था। इस कर्तव्य को निभाते समय, वह मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में थे और सहायक निदेशक (मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण), रोहतक से जुड़े हुए थे। दिसंबर, 1962 में इस निदेशालय को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता को जिला परिषद, रोहतक से संबद्ध कर दिया गया। उक्त निदेशालय में काम करने की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने रोहतक और संगरूर जिलों में पंचायत समितियों के कराधान कार्य का पर्यवेक्षण किया।¬

(2) होशियार सिंह, प्रतिवादी 4, 31 दिसंबर, 1951 को रुपये 125—71—-200—10—300 के ग्रेड पर अकाउंटेंट-कम-हेड क्लर्क के रूप में जिला बोर्ड, रोहतक में स्थायी रिक्ति के विरुद्ध शामिल हुए।। उनके लिए जिला बोर्ड के लेखाकारों की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। वह कुछ समय तक परिवीक्षा पर रहे लेकिन विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 9 अप्रैल, 1955 को पारित एक आदेश द्वारा उनकी पुष्टि कर दी गई, जो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख, यानी 31 दिसंबर, 1951 से प्रभावी थी। जिला बोर्ड, रोहतक की समाप्ति के बाद जिला परिषद, रोहतक में लेखाकार, रु. 200—10—300 1 मार्च 1962 से प्रभावी।

(3) याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी 4 से वरिष्ठ था, इस तथ्य को प्रतिवादी 1 द्वारा दायर रिटर्न में नकार दिया गया है। इस रिट याचिका के निर्णय के लिए याचिकाकर्ता की पूर्ण वरिष्ठता के बारे में निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। और प्रतिवादी 4.¬

(4) जिला परिषद, रोहतक के सचिव श्री हरद्वारी सिंह ने 1 नवंबर, 1966 से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उस रिक्ति को भरने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जिला परिषद ने सरकार को प्रतिवादी 4 के नाम की अनुशंसा की जो थी¬

जिला परिषद के अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और आज तक इस पद पर कार्यरत हैं। यह प्रतिवादी 4 की नियुक्ति है जिसे याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी है जो 2 दिसंबर, 1968 को दायर की गई थी और 9 दिसंबर, 1968 को स्वीकार की गई थी।

(5) अधिनियम की धारा 88 में जिला परिषद के सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है और उसके कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम की धारा 88(3), 96(3) और 98 में किया गया है। अधिनियम की धारा 88(2) निम्नलिखित शर्तों में है: -

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

"जिला परिषद का एक सचिव होगा जिसे जिला परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

(6) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिला परिषद में सचिव का पद वैधानिक है और इसे जिला परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा भरा जाना है। 1965 में, पंजाब सरकार ने पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम, 1965 (इसके बाद नियम कहा जाता है) नामक नियम बनाए और इन नियमों के लागू होने के बाद, सचिव की नियुक्ति उसके अनुसार की जानी थी। ये नियम अधिनियम की धारा 33, 88 और 100 के साथ पठित धारा 115 द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नियम 5, 6, 10 और 11 प्रासंगिक हैं और नीचे दिए गए हैं: -

“5. Ag2e-

व्यक्ति सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र *नहीं* होगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति के समय उसकी आयु 25 वर्ष हो गई हो और उसकी आयु 30 वर्ष न हो गई हो। असाधारण रूप से उच्च योग्य और सक्षम उम्मीदवारों के लिए जिला परिषद द्वारा ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 52 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है:

बशर्ते कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के अलावा अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

6. *शैक्षणिक योग्यता—*

सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों तक काम करने के अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए¬

प्रशासनिक और ग्रामीण विकास कार्यों से जुड़े विकास और पंचायत विभाग में एक राजपत्रित पद पर वर्षों तक।

10. *भर्ती की विधि—*

(1) जिला परिषद के सचिव की भर्ती या तो सीधी नियुक्ति से या किसी सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करके की जा सकती है।¬

(2) जिला परिषद यह तय करेगी कि सचिव की भर्ती सीधी नियुक्ति से की जाए या अन्यथा।

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

(3) यदि सचिव की भर्ती सीधी नियुक्ति द्वारा की जानी है, तो जिला परिषद प्रत्येक उम्मीदवार की आयु, योग्यता और अनुभव बताते हुए तीन नामों के पैनल की सिफारिश करते हुए अपना प्रस्ताव सरकार को भेजेगी। सरकार उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए पैनल को आयोग को भेजेगी और आयोग की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करेगी।¬¬¬

(4) यदि किसी सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी को जिला परिषद के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना है, तो जिला परिषद इस आशय का अपना प्रस्ताव सरकार को भेजेगी जिसमें आयु, योग्यता और अनुभव बताते हुए तीन नामों के पैनल की सिफारिश की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार का सरकार इन नामों की उपयुक्तता तय करने के लिए इन्हें आयोग के पास भेजेगी और आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति करेगी।¬¬¬

(5) यदि जिला परिषद के पास उप-नियम (3) और (4) के तहत सिफारिश करने के लिए कोई नाम नहीं है, तो सरकार जिला परिषद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर खुले विज्ञापन के माध्यम से चयन के लिए आयोग के पास एक मांग रखेगी। ऐसे मामले में प्रस्ताव के साथ आयोग द्वारा निर्धारित विधिवत भरा हुआ मांग प्रपत्र संलग्न किया जाएगा।

उपनियम (4) के तहत नियुक्त सचिव होंगे

(6) जहां तक वेतन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है

प्रतिनियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित, जिसे सरकार द्वारा जिला परिषद के परामर्श से तय किया जाएगा।

11. *अस्थायी नियुक्ति–*

यदि सचिव के पद की किसी रिक्ति को तत्काल भरने की आवश्यकता है, तो जिला परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकती है।

(7) इस मुद्दे पर पहले भी बहस हो चुकी है कि क्या वह व्यक्ति जो अस्थायी सचिव नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, उसके पास नियमों के नियम 6 में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और क्या नियम 5 में निर्धारित आयु सीमा भी उस पर लागू होती है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि नियम 5 और 6 उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जिसे नियम 11 के तहत अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाना है, जबकि उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया है कि नियम 11 एक स्वतंत्र नियम है जो नियम 5 और 6 द्वारा शासित नहीं है। मैंने प्रश्न पर अपना गहन विचार समर्पित किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क सही है। नियम 5 एवं 6 में यह नहीं कहा गया है कि ये नियम केवल जिला परिषद के स्थायी सचिवों पर लागू होंगे, नियम 11 के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों पर नहीं। नियम 11 भी ऐसा कोई संकेत नहीं देता है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि नियम 10 के उप-नियम (3) और (4) में यह उल्लेख किया गया है कि जिला परिषद को नामों की सिफारिश करते समय आयु, योग्यता और अनुभव बताना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार को, लेकिन नियम 11 में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है, हालांकि उस नियम के तहत सिफारिश भी जिला परिषद द्वारा की जानी है। मुझे लगता है कि उस तर्क का सरल उत्तर यह है

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

कि नियम 11 के तहत, जिला परिषद से अस्थायी नियुक्ति के लिए केवल एक नाम सुझाने की अपेक्षा की जाती है, जबकि नियम 10 के उप-नियम (3) और (4) के तहत, नामों का एक पैनल बनाना होता है। प्रस्तावित है और यही कारण है कि जिला परिषद पर प्रत्येक उम्मीदवार की संबंधित आयु, योग्यता और अनुभव बताने का कर्तव्य रखा गया है ताकि सरकार यह निर्धारित कर सके कि उन सभी में से कौन सबसे अच्छा है। मेरे विचार में, सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियों का यह एक मौलिक नियम है कि किसी पद पर पदधारी के लिए निर्धारित योग्यताएँ सभी पदधारियों पर लागू होती हैं, चाहे वे स्थायी रूप से नियुक्त हों या अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हों, क्योंकि कार्यालय के कर्तव्य समान होते हैं, चाहे उनका पालन किया जाए। स्थायी पदधारियों द्वारा या अस्थायी पदधारियों द्वारा। इतनी आवश्यक योग्यता रखना संभव नहीं है द्वारा निर्धारित नियमों में अस्थायी नियुक्तियों के मामले में छूट दी जा सकती है, जब नियमों में छूट या छूट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। इसलिए, मेरी राय है कि प्रतिवादी 4 नवंबर, 1966 में अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था, जब उसे इस तरह नियुक्त किया गया था और तब से उस पद पर उसका बने रहना नियमों के विपरीत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह के कारणों से, याचिकाकर्ता भी अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था और उस पद पर उसका दावा मान्य नहीं है।

(8) बहस का अगला सवाल यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता के कहने पर सुनवाई योग्य है, जब प्रतिवादी 4 की अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्ति से उसका कोई भी कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अधिकार वारंट की रिट के लिए प्रार्थना की है और प्रतिवादी 4 को अस्थायी सचिव के पद से हटाने की प्रार्थना की है, जो उनके पास है और कोई भी व्यक्ति ऐसी याचिका दायर कर सकता है। याचिकाकर्ता जिला परिषद, रोहतक का एक कर्मचारी है, जिसने प्रतिवादी 4 की प्राथमिकता में नियुक्ति का दावा किया है और निश्चित रूप से वैधानिक कार्यान्वयन के लिए जिला परिषद के सचिव के रूप में एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति में रुचि रखता है। अधिनियम के तहत सचिव के लिए निर्धारित कर्तव्य। मेरी राय में, याचिकाकर्ता ने अधिकार वारंटो की रिट के लिए याचिका को बनाए रखने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त रुचि दिखाई है। यह रफेंद्रकुमार चंदनमल बनाम एमपी राज्य और अन्य में आयोजित किया गया था (1) : -

> “अधिकार वारंटो की रिट जारी करने के लिए रिलेटर में किसी विशेष प्रकार की रुचि की आवश्यकता नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि उसके किसी विशिष्ट कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाए। इसके मुद्दे के लिए इतना ही पर्याप्त है कि संवादकर्ता जनता का सदस्य है और प्रामाणिक कार्य करता है और दूसरों द्वारा स्थापित किए गए खेल में केवल एक मोहरा नहीं है। यदि न्यायालय का विचार है कि यह जनता के हित में है कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय के कथित कब्जे के संबंध में कानूनी स्थिति को न्यायिक रूप से साफ किया जाना चाहिए, तो वह किसी भी जनता के सदस्य के कहने पर अधिकार वारंट जारी कर सकता है।।”

उत्तरदाताओं 2 और 3 के विद्वान वकील ने अफोय कुमार मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया है।*जगदेव महापात्र और अन्य*बनाम सैला बिहारी चौधरी और अन्य, (2), इस प्रस्ताव के लिए कि अधिकार-पृच्छा की रिट के लिए एक याचिकाकर्ता रिट प्राप्त करने का हकदार नहीं है, अगर वह प्रतिवादी के पद पर बने रहने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मेरे इस निष्कर्ष पर कि याचिकाकर्ता अस्थायी रूप से भी पद संभालने के लिए योग्य नहीं है, वह किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। मुझे इस निवेदन से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद है। ^याचिकाकर्ता स्वयं इस पद के लिए उम्मीदवार था लेकिन उसका चयन नहीं किया गया। यह सच है कि मैंने पाया है कि वह उस पद को संभालने के लिए विधिवत योग्य नहीं था, जैसे कि प्रतिवादी 4 योग्य नहीं था, लेकिन यदि नियमों में संशोधन किया जाना है या कोई छूट दी जानी है, तो याचिकाकर्ता अपना अधिकार रख सकता है। प्रतिवादी 4 के विरुद्ध नियुक्त किया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को जिला परिषद के सचिव के रूप में प्रतिवादी 4 की नियुक्ति से किसी भी तरह से पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

(9) यह महत्वपूर्ण बिंदु से पहले है कि क्या जिला परिषद के सचिव का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और क्या उस कार्यालय के पदधारी के खिलाफ अधिकार-पत्र जारी किया गया है। बसु के भारत के लघु संविधान, 1967 संस्करण में पृष्ठ 496 पर उल्लेख है कि:-

"किसी कार्यालय के संबंध में अधिकार पृच्छा की रिट तभी जारी की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी:

(I) कार्यालय सार्वजनिक होना चाहिए सार्वजनिक कार्यालय का परीक्षण यह है कि कार्यालय के कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति के हैं या नहीं।

(II) कार्यालय का चरित्र सारगर्भित होना चाहिए, यानी शीर्षक में स्वतंत्र कार्यालय होना चाहिए।

(ii) **

(iii) **

(iv) के अधिकारी

(v) **

(vi) **

(vii) **

(viii) **

(ix) **

(x) **

(xi) का धारक **

(III) इसे क़ानून द्वारा या संविधान द्वारा ही बनाया गया होगा। इस प्रकार,

(a) रिट किसी निजी शैक्षणिक संस्थान की प्रबंध समिति के विरुद्ध नहीं होगी, जो किसी क़ानून द्वारा या वैधानिक बल वाले नियमों द्वारा नहीं बनाई गई है।

(b) दूसरी ओर, रिट निम्नलिखित के कार्यालयों के संबंध में जारी होगी-

(1) कलकत्ता नगर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी;

(2) **एआईआर 1957 उड़ीसा 159.**

---

(1) ए.आई.आर. 1957 एमपी 60.

'क़ानून द्वारा बनाया गया एक विश्वविद्यालय; **

* * * * * *

**

किसी स्थानीय निकाय में एक सार्वजनिक कार्यालय।

(IV) प्रतिवादी ने कार्यालय में अपना दावा पेश किया होगा। * * *

(V) प्रतिवादी कानूनी तौर पर पद पर बने रहने या पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है...।"

(10)हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरे संस्करण के खंड XI के पृष्ठ 146 पर अनुच्छेद 274 में, यह कहा गया है कि कार्यालय को क्राउन के अधीन होना चाहिए या क्राउन द्वारा बनाया गया होना चाहिए, या तो अकेले चार्टर द्वारा या क़ानून द्वारा; और अनुच्छेद 275 में यह उल्लेख है कि कार्यालय के कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति के होने चाहिए। मैंने ऊपर बताया है कि सचिव का पद अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है और इसलिए, वैधानिक प्रकृति का है। यहां तक कि सचिव के कर्तव्य भी अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं और इसलिए, मेरी राय में, सचिव के कार्यालय के कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति के हैं और क़ानून द्वारा बनाया गया कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है, और एक रिट है अधिकार-पृच्छा उस कार्यालय के पदधारी के विरुद्ध होगा। नारायण केशव दांडेकर बनाम आरसी राठी और अन्य (3) में, इंदौर शहर नगर पालिका में एक अस्थायी और कार्यवाहक पद पर मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति के खिलाफ अधिकार-पृच्छा की रिट जारी की गई थी। उसमें याचिकाकर्ता मो¬

(3) एआईआर 1963 एमपी 17.

मामला इंदौर शहर नगर निगम को वार्षिक कर चुकाने वाले करदाता का था।

(11) वे यूनिवर्सिटी मैसूर बनाम सीडी गोविंदा राव और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड्सशिप (4) , विश्वविद्यालय के रीडर के खिलाफ अधिकार-पृच्छा की रिट जारी करने वाले मैसूर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस मामले में वह रीडर नियुक्त किया था। एक विधिवत योग्य व्यक्ति था और इसलिए, अधिकार-पृच्छा का कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता था। मैसूर उच्च न्यायालय में रिट याचिका या सुप्रीम कोर्ट में अपील में, यह नहीं माना गया कि अधिकार-पृच्छा की रिट झूठ नहीं बोलती क्योंकि रीडर का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय नहीं था। उनके आधिपत्य ने क्वो वारंटो की रिट जारी करने के लिए संतुष्ट होने वाली शर्तों को भी निम्नानुसार गिनाया: -

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

(मोहिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। (*न्यायमूर्ति* तुली,)

"मोटे तौर पर कहा गया है, यथा वारंटो कार्यवाही एक न्यायिक जांच की अनुमति देती है जिसमें एक स्वतंत्र मूल सार्वजनिक कार्यालय, या मताधिकार, या स्वतंत्रता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि वह किस अधिकार से उक्त कार्यालय, मताधिकार या स्वतंत्रता रखता है; यदि जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यालय के धारक के पास उस पर कोई वैध अधिकार नहीं है, तो अधिकार-पृच्छा जारी करके उसे उस कार्यालय से बाहर कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यथा वारंटो की प्रक्रिया प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियाँ करने के मामले में कार्यकारी कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका को अधिकार क्षेत्र और अधिकार प्रदान करती है; यह एक नागरिक को उस सार्वजनिक पद से वंचित होने से भी बचाता है जिस पर उसका अधिकार हो सकता है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यदि इन कार्यवाहियों को उस संबंध में मान्यता प्राप्त शर्तों के अधीन अपनाया जाता है, तो वे सार्वजनिक कार्यालय को हड़पने वालों से जनता की रक्षा करते हैं; कुछ मामलों में, कार्यपालिका की मिलीभगत से या उसकी सक्रिय सहायता के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक पद के हकदार नहीं व्यक्तियों को उन पर कब्जा करने और उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसे मामलों में, यदि अदालतों का अधिकार क्षेत्र जारी करना है अधिकार-पृच्छा का रिट उचित रूप से लागू किया जाता है, हड़पने वाले को बेदखल किया जा सकता है और पद के हकदार व्यक्ति को उस पर कब्जा करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि कोई नागरिक अधिकार-पृच्छा की रिट का दावा कर सके, उसे अन्य बातों के साथ-साथ अदालत को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और और वह कानूनी अधिकार के बिना हड़पने वाले के पास है,

(4) ए.आई.आर 1965 एस.सी 491।

आवश्यक रूप से इस बात की जांच की जाएगी कि उक्त कथित सूदखोर की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है या नहीं।"¬

(12) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील2 और 3 ने, हालांकि, शशि भूषण रे बनाम प्रमथ नाथ बंदोपाध्याय और अन्य (5) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया है, जिसके पृष्ठ 915 पर पैराग्राफ 44 इस प्रकार है: —

"44. भले ही याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के बारे में संदेह को नजरअंदाज कर दिया गया हो, इस मामले में दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अदालत इस तथ्य के आधार पर मामले में हस्तक्षेप करेगी कि डॉ. बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तरदाताओं के वकील ने दो प्रश्नों पर फेरिस असाधारण कानूनी उपचार में कानून के बयान पर भरोसा किया, पहला यह कि क्या प्रिंसिपल का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है जिसके संबंध में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और दूसरा, क्या कारण से अधिकार समाप्त हो गया है डॉ. बंदोपाध्याय के इस्तीफे का. फेरिस में पृष्ठ 166 पर सार्वजनिक कार्यालय के संबंध में कानून में कहा गया है कि एक सार्वजनिक कार्यालय कानून द्वारा निर्मित और प्रदत्त अधिकार, प्राधिकार और कर्तव्य है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को सरकार के संप्रभु कार्यों के कुछ हिस्से के साथ निहित किया

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

जाता है। कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक जनता के लाभ के लिए उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य संप्रभु शक्ति के एक हिस्से के प्रतिनिधिमंडल से है। यह कार्यकाल, अवधि, परिलब्धियाँ और कर्तव्यों के विचारों को अपनाते हुए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त एक ट्रस्ट है। उत्तरदाताओं के कानून वकील के इस कथन पर भरोसा करते हुए सही तर्क दिया गया कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय नहीं है और यह न तो कार्यकारी, न ही विधायी और न ही न्यायिक कार्य है।

मेरी राय में, यह निर्णय, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की मदद नहीं करता है, क्योंकि तत्काल मामले में, कार्यालय वैधानिक है और एक स्थानीय प्राधिकरण में एक कार्यालय है जो जनता से संबंधित है। स्थानीय प्राधिकरण भी संप्रभु शक्तियों के एक हिस्से का प्रयोग करता है और सचिव स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख पदाधिकारी होता है। धारा 125¬

*(5) 70 कैल. डब्ल्यूएन 892.*अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायत समिति और जिला परिषद को उस समय लागू किसी भी कानून के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी माना जाएगा। इस प्रकार, जिला परिषद एक "राज्य" है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है।

(13) ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, मेरा मानना है कि जिला परिषद के सचिव का कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और यदि यह आरोप लगाया गया है तो अधिकार-पृच्छा की रिट जारी करने की याचिका उस कार्यालय के पदधारी के खिलाफ है। कि वह इसे रखने के योग्य नहीं है या उसने इसे हड़प लिया है।" वी

(14) जिन परिस्थितियों के कारण प्रतिवादी 4 को जिला परिषद, रोहतक के अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, वे यह हैं कि श्री हरद्वारी सिंह के इस्तीफे पर, जिला परिषद ने अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रतिवादी 4 के नाम की सिफारिश की। उस सिफारिश को हरियाणा राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अधिसूचना, दिनांक 26 नवंबर, 1966 द्वारा, प्रतिवादी 4 को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर सचिव, जिला परिषद, रोहतक नियुक्त किया गया था। रुपये 375 प्रति माह की दर से रुपये 250—25—400/25—600/25—750 के पैमाने पर प्लस ऐसे भत्ते जो नियमों के तहत स्वीकार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्ति अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा की गई थी और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी गई थी क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रतिवादी 4 को अस्थायी आधार पर सचिव के रूप में नियुक्त करने के आदेश की प्रति अध्यक्ष, जिला परिषद को भेजी गई थी। निम्नलिखित अनुमोदन:¬

"जिला परिषद द्वारा बनाए गए उपनियम पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन हैं। पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम, 1905 के नियम 11 के तहत; उपरोक्त अधिनियम की धारा 88 (2) के साथ पढ़ें, यहां तक कि सचिवों, जिला परिषदों की अस्थायी नियुक्ति करने की शक्तियां भी हैं, बाकी सरकार में हैं न कि अध्यक्ष, जिला परिषद में। उन्हें अपनी शक्तियों से परे काम नहीं करना चाहिए था इसे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया जा सकता है।

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

कृपया पंजाब जिला परिषद (सचिवों की नियुक्ति) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत एक नियमित प्रस्ताव तुरंत भेजा जाए ताकि लोक सेवा आयोग की मंजूरी के साथ स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की जा सके।

(15) जिला परिषद के अध्यक्ष ने नियम में संशोधन के लिए दबाव बनाने के लिए सरकार के साथ बातचीत की ताकि जिला परिषद के कर्मचारी उस जिला परिषद के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएं। नियम 10 के अनुसार, जिला परिषद के कर्मचारी सीधी भर्ती में सचिव की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और जिला परिषद का कोई भी कर्मचारी उस जिला परिषद में सचिव के रूप में पदोन्नत होने का हकदार नहीं है। यह एक विसंगति है क्योंकि किसी अन्य जिला परिषद के कर्मचारी को सचिव नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसी जिला परिषद के कर्मचारी को नहीं। हालाँकि, सरकार ने अभी तक नियम में संशोधन नहीं किया है और जब तक नियम में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक इसका पालन करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी 4 को हरियाणा के राज्यपाल के आदेश, दिनांक 26 नवंबर, 1966 और वित्तीय आयुक्त, विकास और सरकार के सचिव के एक पत्र में उल्लिखित 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी। हरियाणा, विकास और पंचायत विभाग, दिनांक 20 अप्रैल, 1968 को अध्यक्ष, जिला परिषद, रोहतक को यह बताया गया कि 31 अक्टूबर, 1967 के बाद प्रतिवादी 4 का सचिव, जिला परिषद, रोहतक के रूप में बने रहना नियमों का उल्लंघन था। वैधानिक नियम और इस पद पर रहने के लिए उन्हें वेतन और भत्ते का कोई भी भुगतान अनियमित होगा। आगे बताया गया कि इस अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 117 के तहत अधिभार लगाया जा सकता है। जिला परिषद, रोहतक का प्रभार सौंपा जाना चाहिए। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक, पृष्ठांकन संख्या 502-5ईसीडीआईआई-68/1562, दिनांक 19 जनवरी, 1968 के आदेश के अनुसार तुरंत इस पत्र के बावजूद, प्रतिवादी 4 को जारी रखने की अनुमति दी गई और प्रभार नहीं सौंपा गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। जिला परिषद के अध्यक्ष और सरकार के बीच कुछ पत्राचार के बाद, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभागों के वित्तीय आयुक्त और सचिव द्वारा अध्यक्ष, जिला परिषद, रोहतक को 13 अगस्त, 1968 को एक पत्र लिखा गया था। जिसकी प्रति रिटर्न के अनुलग्नक आर-II में है) इस प्रकार है: -¬¬¬

> "विषय: सचिव, जिला परिषद, रोहतक की नियुक्ति।
>
> संदर्भ: आपका ज्ञापन संख्या 180/जेडपीआर, दिनांक 12 जुलाई, 1968, विकास मंत्री, हरियाणा के पते पर।
>
> सरकार हर छह महीने के बाद एक दिन का ब्रेक देकर श्री एच.एस बलहरा को जिला परिषद, रोहतक के अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त करने पर सहमत है।"

(16) कम से कम इतना कहने के लिए, मुझे पत्र की सामग्री पढ़कर आश्चर्य हुआ। सरकार और इस पत्र को लिखने वाले अधिकारी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि नियम 11 के तहत अस्थायी आधार पर सचिव की नियुक्ति छह महीने से अधिक नहीं हो सकती , 31 अक्टूबर, 1967 के बाद प्रतिवादी 4 की निरंतरता को उसी अधिकारी द्वारा 22 अप्रैल, 1968 को लिखे गए पहले पत्र में अपवाद माना गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है (जिसकी एक प्रति अनुलग्नक 'P-6' में है) प्रतिकृति)। नियम 11 के तहत 6 महीने से ज्यादा के लिए नियुक्ति नहीं की जा सकती और सरकार ने खुद सुझाव दिया कि हर छह महीने के बाद एक दिन का ब्रेक देकर इस नियम का पालन किया जा सकता है यह सुझाव सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों पर धोखाधड़ी से कम नहीं

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

था और यह जानकर दुख होता है कि सरकार को स्वयं उन नियमों की रंगीन चोरी का सुझाव देना चाहिए। याचिका में इसे भी सामने लाया गया है और रिटर्न में स्वीकार किया गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बताया था कि प्रतिवादी 4 जिला परिषद के सचिव का पद संभालने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं था। आयोग द्वारा उस आपत्ति के बावजूद प्रतिवादी 4 को उस कार्यालय से हटाने और उसके स्थान पर एक विधिवत योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह भी ध्यान में रखना होगा कि नियम 11 के तहत सचिव की अस्थायी नियुक्ति कुल मिलाकर छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकती है और एक बार में छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है। यह सुझाव देना कि प्रतिवादी 4 को हर छह महीने के बाद एक दिन का ब्रेक देकर अस्थायी सचिव के रूप में जारी रखा जा सकता है, नियम 11 का उल्लंघन है और उसके अनुसार नहीं है। राज्य और जिला परिषद के विद्वान वकील ने दलीलों में नियमों के अनुसार नियुक्ति करने में सरकार की असहायता की ओर इशारा किया है क्योंकि जिला परिषद उप-नियम (3) और (4) के अनुसार प्रस्ताव बनाने में विफल रही है।) नियम 10 के और नियम 11 के तहत अस्थायी आधार पर सचिव का पद संभालने के लिए एक योग्य व्यक्ति की सिफारिश करने में भी विफल रही। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले में इतनी असहाय है कि पूरी तरह से निर्भर हो। सचिव की नियुक्ति हेतु जिला परिषद नियम 10 का उपनियम (5) सरकार को विज्ञापन द्वारा लोक प्रेषक आयोग के माध्यम से नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करता है। सरकार जिला परिषद को दो महीने की अवधि के भीतर सचिव के पद के लिए विधिवत योग्य व्यक्तियों का प्रस्ताव भेजने के लिए कह सकती है, और यह सूचित कर सकती है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, तो सरकार सार्वजनिक रूप से आवेदन करेगी। सेवा आयोग नियम 10(5) के तहत रिक्ति भरेगा। इस प्रकार 6 माह की अवधि में स्थायी सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी। दरअसल, 26 नवंबर 1966 को लिखे पत्र में सरकार ने ऐसा किया था¬¬

राम पियारी बनाम पियारा लाई, (सूरी, जे.)

जिला परिषद को नियम 10 के तहत नाम भेजने के लिए कहा, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को भी इस बात का अहसास नहीं था कि एक अस्थायी सचिव की नियुक्ति छह महीने से अधिक जारी नहीं रखी जा सकती है और उस पद को संभालने वाला व्यक्ति नियमों के नियम 5 और 6 के अनुसार एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि एक अयोग्य व्यक्ति लगभग तीन वर्षों तक इस पद पर रहा और अब भी मेरे सामने उसकी नियुक्ति को उचित ठहराने की मांग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार स्वयं अपने द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। यदि सरकार को कोई असहायता महसूस हुई और उसने सोचा कि जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए नियमों में संशोधन आवश्यक है, तो उसे संशोधन के लिए कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अगर उसने उस पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया, तो मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था और इसमें ढील या छूट नहीं दी जानी चाहिए थी जैसा कि इस मामले में किया गया है। निश्चित रूप से यह सरकार के लिए खुला नहीं था कि वह अपने द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के तहत धोखाधड़ी करने के तरीकों और साधनों का सुझाव दे। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी 4 के पास नियम 6 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और जब उन्हें नवंबर, 1966 में अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था तब उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी।¬

(17) 1ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह याचिका: स्वीकृत लागत है और अधिकार वारंटो की रिट जारी की जाती है, जिसमें प्रतिवादी 4 को अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया जाता है और साथ ही, प्रतिवादी 2, जिला परिषद, रोहतक के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की जाती है। इसके लिए प्रतिवादी 4 को कार्यवाहक सचिव, जिला परिषद, रोहतक के कार्यालय से हटाने

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.

की आवश्यकता है, और सचिव की नियुक्ति करने के लिए हरियाणा राज्य और जिला परिषद, रोहतक, प्रतिवादी 1 और 2 को एक निर्देश भी जारी किया जाता है। जिला परिषद, रोहतक, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में अधिनियम और नियमों के अनुसार। वकील की फीस रु. 200 रुपये का उत्तरदाताओं 1 और 2 को समान रूप सेभुगतान करना होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रोहतक, हरियाणा।

---

(1) ए.आई.आर. 1957
एमपी 60.